न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर जिला जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री नेमा राम आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 82/2024
जीसीएमएस संख्या–2024/120

प्रार्थीगण	बनाम		अप्रार्थीगण
1 मंजु पत्नी मनोहरलाल जाति जाट निवासी कुड़ तहसील पीपाड़ शहर		1	शोभाराम पुत्र बीजाराम
		2	मंगलाराम पुत्र मादाराम
		3	लालाराम पुत्र मादाराम
		4	केली पुत्री मादाराम
		5	राजुराम पुत्र जगदीश
		6	कोया पत्नी जगदीश सभी जातियान जाट निवासीगण बुचकला
		7	राज्य सरकार जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम

दर्ज दिनांक 22/04/2024

उपस्थित अधिवक्ता

1. श्री निर्मल कटारिया प्रार्थी की ओर से
2. तहसीलदार पीपाड़ शहर अप्रार्थी संख्या 07

निर्णय दिनांकः– 13/10/2025

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बुचकला पटवार क्षेत्र बुचकला भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बुचकला तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में प्रार्थीया की खातेदारी कब्जाशुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 469/1 क्षेत्रफल 0.5259 हेक्टेयर किस्म चाही प्रथम कृषि भूमि स्थित है जो राजस्व रेकर्ड में नया खाता संख्या 225 व पूराना 197 पर इन्द्राजशुदा है। जिसको आगे प्रार्थनापत्र से वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। सबूत में नकल जमाबदी सम्वत् 2075 से 2078 की प्रमाणित प्रति सलग्न पेश है। वादग्रस्त आराजी पर प्राथीया का अभिलिखित खातेदार काश्तकार की हैसियत से कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग बिना किसी रोक टोक के निर्बाध रूप से चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीया सावणु फसल की बुवाई करती आई है। प्रार्थीया वादग्रस्त आराजी की सुरक्षा हेतु वादग्रस्त आराजी के चारो तरफ मुटाम कायम करवाकर दिवार तारबंदी करवाना चाहती है लेकिन वादग्रस्त आराजी के उत्तर व दक्षिण तरफ अप्रार्थीगण के खेत स्थित है तथा माठों को लेकर आये दिन विवाद होता रहता है जिस बाबत प्राथीया ने विधिवत रूप से तहसील कार्यालय पीपाड शहर के यहां आवेदन कर वादग्रस्त आराजी का माप चौप कर सीमांकन करवा लिया है लेकिन प्रार्थीया के खेत के उत्तरी व दक्षिण तरफ स्थित खेत खसरा नबर 469/2 व 470 के खातेदार अप्राथीगण तहसील कार्यालय द्वारा किये गये माप चौप को नहीं मान रहे है तथा प्राथीया के खेत की उत्तरी व दक्षिण माठ को अपनी भूमि बताते है तथा खुर्द बुर्द करने पर उतारू है इसलिए वादग्रस्त आराजी के मौके पर सीमांकन को लेकर भारी विवाद है। प्रार्थीया के खेत के अन्य दिशों की माठों को लेकर किसी प्रकार का विवाद नहीं है। वादग्रस्त आराजी का नाप चौप किया जाकर सीमा कायम की जाकर पत्थरगढ़ी / मुण्डागढ़ी करवाई जानी अतिआवश्यक व लाजमी है जिससे भविष्य में कोई विवाद उत्पन्न नही हो। प्रार्थीया नियमानुसार पत्थरगढ़ी हेतु मुण्डे उपलब्ध करवा देगी एंव मोमीट्रेस नक्शा उपलब्ध करवा देगी एंव नियमानुसार कमीश्नर को फीस अदा कर देगी। अप्रार्थी संख्या सात को भूमिधारी होने से तरदीदी पक्षकार संयोजित किया गया है। अतः प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम बुचकला पटवार क्षेत्र बुचकला भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बुचकला तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में प्रार्थीया की खातेदारी, कब्जाशुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 469/1 क्षेत्रफल 0.5259 हेक्टेयर किस्म चाही प्रथम कृषि भूमि का नाप चौप किया जाकर पत्थरगढी / मुण्डागढ़ी करवाने का

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

तहसीलदार पीपाड शहर को आदेशित फरमायें एंव मौके पर अप्रार्थीगण को पत्थरगढी / मुण्डागढी करवायें जाने में किसी प्रकार से बाधा उत्पन्न नही करने हेतु पाबंद किया जावे व जरूरत पड़ने पर पुलिस इमदाद के जरिये पत्थरगढी / मुण्डागढी किये जाने के सादर आदेश फरमावें।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 से 6 अनुपस्थित जिस पर उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 07 तहसीलदार पीपाड़ शहर का नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुआ जिन्होने जवाब प्रस्तुत किया जिसके अनुसार राजस्व ग्राम बुचकला के पुराना खसरा संख्या 469/1 नया खसरा नम्बर 1155 का सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी आदेश किया जाना है तो कोई आपत्ति नहीं है।

विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में निवेदन करते हुए कहा कि ग्राम बुचकला के पुराना खसरा नम्बर 469/1 नया खसरा संख्या 1155 की भूमि का सीमांकन कर पत्थरगढ़ी के आदेश प्रार्थी के पक्ष में किया जाना न्याय संगत है एवं प्रार्थी वकील ने यह भी बताया कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी के कब्जासुद भूमि है जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता आ रहा है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो के आधार पर यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार है इसलिए वादग्रस्त आराजी का नापचौक सीमांकन करवाकर पत्थरगढ़ी करवाई जाना न्यायसंगत है। अत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम ग्राम बुचकला के पुराना खसरा नम्बर 469/1 नया खसरा संख्या 1155 भूमि का टीम गठित कर नापचोक व सीमांकन कर रूबरू पक्षकारान् के सीमा कायम करते हुए पैमाइश करवाकर पत्थरगढी करावे। इस बाबत् नियमानुसार शुल्क प्रार्थीगण राजकीय कोष में जमा करवायेगें। बाद पैमाइश पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करे ।

(नेमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

निर्णय आज खुले न्यायालय लिखवाया जाकर दिनांक 13/10/2025 को सुनाया गया।
पत्रावली फैसल शुमार हो

(नेमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर